न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2023 G.C.M.S. No. 2023/316 दर्ज दिनांक : 26.12.2023

अपीलार्थिगण:

1. चणनाराम पुत्र विरदारामजी, जाति कुमावत, निवासी नवोड़ा बेरा रायपुर रोड़, कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
2. पारसमल पुत्र दुर्गारामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
3. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गारामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
4. मोहनलाल पुत्र मिश्रीलालजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
5. मिश्रीलाल पुत्र नवलारामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
6. महेन्द्र पुत्र मिश्रीलालजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
7. फुलकी पत्नि मिश्रीलालजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
8. मीरा पत्नि गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
9. कन्हैयालाल पुत्र गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
10. सोहनलाल पुत्र गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
11. भेराराम पुत्र गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
12. सीता पुत्री गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
13. कमली पुत्री गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
14. रतनलाल पुत्र बींजाराम, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. डावरराम पुत्र जालूरामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
2. गलकी देवी पत्नि भोलारामजी फौत के विधिक वारिसान:–
   अ. राजूराम पुत्र भोलाराम
   ब. सोहनलाल पुत्र भोलाराम
   स. छलाराम पुत्र भोलाराम जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. सुगनाई पत्नि सताराम फौत के विधिक वारिसानः—
   अ. रतनाराम पुत्र सताराम, जाति कुमार
   ब. ओमाराम पुत्र सताराम, जाति कुमार
4. विनोद पुत्र हिमताराम
5. निर्मल पुत्र स्व. हिम्मताराम
6. सारी पत्नी स्व. हिम्मताराम
7. भंवराई पत्नि सरदार
8. बाबुलाल पुत्र सरदार
9. राजूराम पुत्र भोलाराम
10. सोहनलाल पुत्र भोलाराम
11. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
12. पांचु पुत्री मंगलाराम
13. कमला पुत्री मंगलाराम
14. सीता पुत्री मंगलाराम
15. तीजी पुत्री मंगलाराम
16. सुखी पुत्री मंगलाराम
17. कंचन पुत्री मंगलाराम
18. पतासी पत्नि मंगलाराम फौत के कायम मुकामः—
    अ. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
19. दुर्गाराम पुत्र घीसाराम फौत के का.मु.
    अ. अणदाई पत्नि दुर्गाराम, उम्र वयस्क
    ब. मोती पुत्र दुर्गाराम, उम्र वयस्क
    स. केसाराम पुत्र दुर्गाराम, उम्र वयस्क
20. बींजा पुत्र रावत
21. दीपाराम पुत्र सुजाराम
22. सायरी पत्नि उम्मेदराम फौत के विधिक वारिसानः—
    अ. मांगीलाल पुत्र उम्मेदराम
    ब. चेनाराम पुत्र उम्मेदराम
23. कमली पत्नि दीपाराम फौत के विधिक वारिसानः—
    23/1 नाथूराम पुत्र दीपाराम
    23/2 अणदाराम पुत्र दीपाराम
    23/3 नौरत पुत्र दीपाराम
    23/4 भूराराम पुत्र दीपाराम
    23/5 रेखा पुत्री दीपाराम
    23/6 मोहनी पुत्री दीपाराम
    23/7 सुनीता पुत्री दीपाराम
24. तिलोकराम पुत्र सादुलराम फौत के विधिक वारिसानः—
    24/1 मोहनलाल पुत्र तिलोकराम
    24/2 बगदाराम पुत्र तिलोकराम
    24/3 तुलसाराम पुत्र तिलोकराम
    24/4 मीठाराम पुत्र तिलोकराम
    24/5 कमली पुत्री तिलोकराम
    24/6 गीता पुत्री तिलोकराम
25. जोगाराम पुत्र बींजाराम फौत के कायम मुकामः—

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

25/1 राजूराम पुत्र जोगाराम
25/2 प्रकाश पुत्र जोगाराम
25/3 चेतन पुत्र जोगाराम
26. भंवरलाल पुत्र बालूराम
27. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम
28. छैलाराम पुत्र बालूराम
29. महेन्द्र गोद पुत्र जीताराम, नाबालिग कुदरती वली पिता जवरीलाल पुत्र पुखराज
30. तहसीलदार रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2018 (पुराना) एवं 03ए/2021 (नवीन) बअनवान डावरराम बनाम गलकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार –

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 11.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2018 (पुराना) एवं 03ए/2021 (नवीन) बअनवान डावरराम बनाम गलकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की पालना ही नहीं की हैं और न ही निर्णय में ऐसा कहीं उल्लेख किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 जिस जगह बेचाण में खरीद की है, उस जगह बंटवाड़ा की डिक्री नहीं देकर अलग जगह बंटवाड़ा प्रकट किया है। अधिनस्थ तहसीलदार ने न तो कोई नक्शा बनाया है, न ही अलग–अलग भूखण्ड उल्लेखित किये हैं। बल्कि केवल रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को फायदा देने की मंशा से उसका हिस्सा अलग दो टुकड़ों में प्रकट कर दिया है, जबकि मूल खातेदार दीपाराम था और दीपाराम से नाथूराम ने खरीद की और नाथूराम ने डावरराम को बेचाण की, ऐसी सूरत में डावरराम एक अजनबी क्रेता था और वैसे भी बेचाणनामा में पेज संख्या 4 के क्रम संख्या 16 में अलग से स्पष्ट पड़ौस खोल रखे थें, वही जमीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हासिल करने का रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 हक रखता था, फिर भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने भूमिधारी से मिलकर अपने पक्ष में अंतिम डिक्री में मौके की जमीन देखकर अपने पक्ष में तरमीम करवा दी और हिस्सा एक जगह ही एक ही स्थान की खरीदी हुई थीं और दो टुकड़े अलग–अलग प्रकट कर दिये, जो भी कानून की मंशा के विपरीत है। अंतिम डिक्री की पालना में मौके पर किसी सह खातेदार को तलब नहीं किया और न ही उनको जहां रेस्पोंडेण्ट काबिज थे, वो हिस्सा ही अलग से दर्शाया है। यहां तक अंतिम डिक्री तस्दीक करने के पूर्व अपीलाण्ट या अन्य रेस्पोंडेण्ट की कोई आपत्ति ही ली गई हैं। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 उसी जगह का कब्जा हासिल कर सकता था, जहां से पूर्व खातेदार के कब्जे व पूर्व के 70–80 वर्ष पूर्व किये गये बंटवाडे में हासिल की थीं, उस जगह का ही हक ले सकता था और यहां केवल बंटवाड़े का तात्पर्य यह था कि मौके पर कम ज्यादा जमीन हों तो सही सर्वेक्षण करवाकर सीमांकन पत्थरगढी करवा सकता था, अपना खाता अन्य खातेदारों से अलग करवा सकता था, लगान अलग करवा सकता था व नक्शे में तरमीम करवा सकता था, इससे अधिक रेस्पोंडेण्ट न तो प्राथमिक डिक्री ले सकता था, न ही अंतिम डिक्री लेने का हक अधिकार रखता था, फिर भी साठगांठ करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की हैं। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 मलकी न होकर गलकी थी, जो मलकी के नाम डिक्री की है, वह सरासर गलत है और निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व गलकी का देहान्त हो गया था, जिसके विधिक वारिशानों को रेकर्ड पर लाये बिना मरे हुए के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अपीलाण्ट निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को तब हुई जब डावरराम के अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत का दिनांक 20.12.2023 का लिखा हुआ केवियट डाक के जरिये रेस्पोंडेण्ट मोहनलाल को दिया और मोहनलाल ने अपीलाण्ट को यह केवियट व नोटिस बताया, तब अपीलाण्ट तुरन्त प्रभाव से रायपुर गया और वहां की पत्रावली का अवलोकन करने पर न केवल निर्णय दिनांक 13.06.2019 की जानकारी हुई बल्कि मुकदमें का अंतिम फैसला दिनांक 16.10.2023 के बारे में भी जानकारी हुई, तब दोनों निर्णय की नकले आवेदन संख्या 530 तारीख 21.12.2023 आवेदन पेश कर नकले हासिल की और तुरन्त प्रभाव से अधिवक्ता से पाली आकर सम्पर्क किया और इस तरह अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ें व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को निर्णित कर अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.12.2023 को प्रस्तुत की। जोकि 10 दिवस के अल्प विलंब के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 21.12.2023 को प्राप्त होने से अविलंब अपील प्रस्तुत की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में अल्प विलंब निहित है तथा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.06.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में सभी सहखातेदारान को सूचित किये जाने का अभाव है तथा तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई हैं। जोकि आज्ञापक विधिक प्रावधान है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती हैं।
3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री समर्थन योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2018 (पुराना) एवं 03ए/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

(नवीन) बअनवान डावरराम बनाम गलकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 14.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय व संबंधित तहसीलदार को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **11.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner